


UTTAR PRADESH 22AC 355066

शपथ-पत्र

समक्ष- जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग आफिसर
निर्वाचन क्षेत्र-80- रावर्ट्सगंज (सु०) लोक सभा
उत्तर प्रदेश।

शपथ पत्र द्वारा- शंकर पुत्र स्व.बैजनाथ ग्राम नागनार हरैया पोस्ट मधुपुर, थाना व तहसील रावर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र।

शपथकर्ता शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता है ----

पक्रा(1) यह कि हम शपथकर्ता पता उपरोक्त का निवासी है।

संलग्नक- पृष्ठ (2) साथ मे संलग्न है।

दिनांक- 18.04.2014

ह० शपथकर्ता

...2

"प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



80- राबर्ट्सगंज (सु॰) लोकसभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं शंकर **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व॰ बेनी आयु 52 वर्ष, जो ग्रा॰ नगवार ईसा, पो॰ मधुपुर, जि॰ सोनभद्र (डाक का पूरापता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

(1) मैं कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूं।

~~**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।~~ X

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 80- राबर्ट्सगंज की 400- घोरावल (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 280 के क्रम सं0 129 पर प्रविष्ट हैं।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं0 8953791941 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो) उपलब्ध नहीं है और मेरा/मेरे सोशल मिडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) उपलब्ध नहीं है/हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति : लागू नहीं

| क्रम सं0 | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वयं शंकर | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 2. | पति या पत्नी श्रीवती | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3. | आश्रित–1 दिनेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4. | आश्रित–2 कोई नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. | आश्रित–3 कोई नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं

Shankar
Advocate

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | मुकदमा अप॰ सं॰ 558/04 थाना-अहरौरा जिला-मिर्जापुर उ॰प्र॰ |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | अंतर्गत धारा 216 भा॰ दं॰ वि॰ |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | न्यायालय सिविल जज (जू॰डि॰) खण्ड मिर्जापुर मु॰न॰ 264/12 संज्ञान की तारीख ज्ञात नहीं। |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | न्यायालय सिविल जज (जू॰डि॰) खण्ड मिर्जापुर |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | मालूम नहीं॰ |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं | नहीं |

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i)में वर्णित मामलों से भिन्न]:– लागू नहीं

| | | |
|---|---|---|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | लागू नहीं |
| (ख) | उक्त मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | लागू नहीं |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | लागू नहीं |

NOTARY ... GOVT OF U.P. INDIA

T.d

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया है~~/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~किया गया है~~/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : लागू नहीं

| | | |
|---|---|---|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं)और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | लागू नहीं |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | लागू नहीं |
| (ग) | अधिरोपित दंड | लागू नहीं |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति | लागू नहीं |

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :

~~अ. जंगम~~ आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाता है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में कम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने है।

NOTARY Mohd. Tabish Dist. Gautam Budh Nagar (U.P.) 2(13)2003 CONTOFUP

9/01/12

| क्रम सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी/पिता | आश्रित–1 दिनेश | आश्रित–2 कोई नहीं | आश्रित–3 कोई नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | हाथ में नकदी | 20,000रु. | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | भारतीय स्टेट बैंक सावर्टूलगंज के खाता नं० 33782522909 में 1000रु. | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) | कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (v) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (vi) | मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (vii) | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य | 21000रु. | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |

NOTARY PUBLIC

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी/पिता | आश्रित–1 दिनेश | आश्रित–2 कोई नहीं | आश्रित–3 कोई नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | पट्टे पर प्राप्त कृषि भूमि नम्बर नहीं मालूम | कोई नहीं राजस्व नहीं | कोई नहीं उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | 0.140 एकड़ | कोई नहीं उपलब्ध नहीं | कोई नहीं उपलब्ध नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

दिनेश

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | कोई नहीं अल०ध०नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 200,000रु० | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) | गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) | वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपतित पर कोई विनिधान | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित (अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | बरामदा अहाता सहन सहित के कमरे का कच्चा मकान | कोई नहीं अल०ध०नहीं | कोई नहीं अल०ध०नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 1200 वर्गफुट | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 600 वर्गफुट | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | हाँ | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

NOTARY Mohd. Naim Tahsil. Rou Distt. Sonbhadra Reg. No. 21(13)2018 GOVT OF U.P.

9/10/2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 100,000 रु. | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (v) | अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित) | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (vi) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | 300,000 रु. | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय ■ व्यष्टिक के नाम और उनमे प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| कम सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी हीरावती | आश्रित–1 दिनेश | आश्रित–2 कोई नहीं | आश्रित–3 कोई नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य<br>बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य<br>नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | कोई अन्य दायित्व | नहीं | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | दायित्वों का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) | सरकारी शोध्य :<br>सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | सरकारी/परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | कोई नहीं लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | आय–कर शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | धनकर शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | सेवाकर शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | नगरपालिका/सपत्ति कर शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विक्रयकर शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | कोई अन्य शोध्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | कोई नहीं, शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) | सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | नहीं | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

NOTARY Mohd. [illegible] Tahsil [illegible] Distt. Sambhal Reg. No- 2703(13)/2008 GOVT. OF U.P.

9/10/12

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी कृषि एवं मजदूरी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :–

साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

## भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कु0 शंकर | | | |
| 2. | डाक का पूरा पता | ग्राम-नाथनार हरैया, पोस्ट-मधुपुर जिला-सोनभद्र | | | |
| 3. | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नामतथा राज्य | 80- राबर्ट्सगंज (यू०), उ०प्र० | | | |
| 4. | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें) | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (आल इंडिया कम्युनिस्ट लिबरेशन) | | | |
| 5. | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। | 1 | | | |
| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न | कोई नहीं शून्य | | | |
| 6. | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है । {लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए} | कोई नहीं शून्य | | | |
| 7. | | का स्थायी लेखा सं0 | यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है | कुल दर्शित आय | |
| | (क) अभ्यर्थी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | (ख) पति या पत्नी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| | (ग) आश्रित | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |

| 8. | आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित–1 | आश्रित–2 | आश्रित–3 |
| क. | जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) | 21000रु० गहने आदि | शून्य | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ख. | स्थावर आस्तियां | कोई नहीं | कोई नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | II. क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

शंकर

| | | निम्नलिखित की | स्वयं | पत्नी | आश्रित I | आश्रित II | आश्रित III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | III. | अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | 3000000/- | शून्य | शून्य | लागू नही | लागू नही |
| | | (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) | वर्तमान कोई आय नहीं 200000/- | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| | | (ख)विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) | 1000000/- | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| 9. | | दायित्व | स्वयं | पत्नी | आश्रित I | आश्रित II | आश्रित III |
| | (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नही | लागू नही |
| | (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नही | लागू नही |
| 10. | | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है | | | | | |
| | (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नही | लागू नही |
| | (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नही | लागू नही |
| 11. | | उच्चतम शैक्षिक अर्हता : साक्षर<br>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें ।) | | | | | |

## सत्यापन

NOTARY Mohd. Tahsin Dist. Saharanpur (U.P.) GOVT OF U.P.

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 18/04/2014 को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1- शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2- शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3- सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4- शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।